न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 118/2025

इन्द्रजीत सिंह निवासी प्लाट नम्बर 12, लाजवन्ती भवन सिविल लाईन टोंक जिला–टोंक

––अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक **17.02.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के प्रतिनिधी भरत राजवानी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 17.11.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :–

संलग्न आपके यहा रिसीव्ड कम्पलेन्ट दिनांक 4.09.2025 पर आपके द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी देने की सुनिश्चितता करे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 2455 दिनांक 18.12.2025, 2509 दिनांक 31.12.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 1231 दिनांक 23.12.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी विकास शाखा कलेक्ट्रेट टोंक से होने से उनके पत्र कमांक 1120 दिनांक 19.11.2025 से प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए पत्र कमांक 1232 दिनांक 23.12.2025 से प्रार्थी (भरत राजवानी) को सूचित किया गया है। अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी विकास शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र कमांक 82 दिनांक 15.01.2026 व 138 दिनांक 27.01.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी विकास शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने पत्र कमांक 136 दिनांक 13.02.2026 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध लोक सूचना अधिकारी एंव अधीक्षक मुख्य डाकघर टोंक से होने से उनके पत्र कमांक 137–38 दिनांक 13.02.2026 से प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए पत्र कमांक 137–38 दिनांक 13.02.2026 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं अधीक्षक मुख्य डाकघर टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अपीलान्ट अधीक्षक मुख्य डाकघर टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

792